<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-07062024-254606 CG-DL-E-07062024-254606

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 405] No. 405] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 7, 2024/ज्येष्ठ 17, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 7, 2024/JYAISHTHA 17, 1946

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2024

मि.सं. 9-1/2010(पीएस/विविध)पार्ट.खंड.॥.—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 14 के साथ पठित धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (इ.) और (छ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी एतद्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य अकादिमक स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं और उच्चतर शिक्षा में मानकों का अनुरक्षण के लिए अन्य उपाय) विनियम, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामत:

- 1. लघु शीर्षक और प्रारंभ :- (1) इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य अकादिमक स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अईताएं और उच्चतर शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण के लिए अन्य उपाय) (चौथा संशोधन) विनियम, 2024 कहा जाएगा (यूआईएन:2/2024)।
 - (2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- 2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य अकादिमक स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं और उच्चतर शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण के लिए अन्य उपाय) (तीसरा संशोधन), विनियम 2023 में खंड 6.3 के अधीन विनिर्दिष्ट परंतुक को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः –

3437 GI/2024 (1)

"इन विनियमों के तहत उल्लिखित कैरियर उन्नित योजना के अंतर्गत पदोन्नितयों के लिए मानदंड इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होंगे। तथापि, उन संकाय सदस्यों को किठनाई से बचाने के लिए, जिन्होंने पहले ही अर्हता प्राप्त कर ली है या विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य अकादिमक स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं और उच्चतर शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण के लिए अन्य उपाय, 2010 के अनुरूप यूजीसी विनियमों के अनुसार 31 दिसंबर 2024 तक अर्हता प्राप्त करने की संभावना हैं, उन्हें 2010 या 2018 विनियमों के तहत पदोन्नित के लिए विचार में रखे जाने का विकल्प दिया जा सकता है। पात्रता की तिथि पदोन्नित की तिथि के रूप में धारित की जाएगी। आवेदन जमा करने की तिथि पर, उम्मीदवार को पदोन्नित के लिए आवश्यक सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना चाहिए।"

परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य अकादिमक स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं और उच्चतर शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण के लिए अन्य उपाय) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023 के खंड 6.3 को हटाया गया समझा जाएगा।

प्रो. मनिष र. जोशी, सचिव [विज्ञापन-III/4/असा./174/2024-25]

नोट: प्रधान विनियम भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4 में मि. सं. 1-2/2017 (ईसी/पीएस) दिनांक 18 जुलाई, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2024

No. F.9-1/2010(PS/MISC)Pt. Vol.II.—In exercise of the powers conferred under clause (e) and (g) of subsection (1) of Section 26 read with Section 14 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the University Grants Commission hereby makes the following amendment in the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2018, namely:-

- 1. Short title and commencement.-(1) These regulations may be called the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) (4th Amendment) Regulations, 2024 (UIN:2/2024).
 - (2) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. The proviso prescribed under Clause 6.3 in the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and Other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) (3rd Amendment) Regulations, 2023, shall be substituted with the following:-

"The criteria for promotions under Career Advancement Scheme laid down under these Regulations shall be effective from the date of notification of these Regulations. However, to avoid hardship to those faculty members who have already qualified or are likely to qualify till 31st December 2024 as per the UGC Regulations on Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education, 2010, a choice may be given to them either for being considered for promotions under the 2010 or 2018 Regulations. The date of eligibility shall be retained as the date of promotion. On the date of submission of the application, the candidate should fulfill all eligibility criteria required for promotion."

As a consequence, the Clause 6.3 of the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and Other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) (3rd Amendment) Regulations, 2023, stands deleted.

Prof. MANISH R. JOSHI, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./174/2024-25]

Note: The Principal Regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary under Part III, Section 4 *vide* No.F. 1-2/2017 (EC/PS) dated 18th July 2018.